भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5685
दिनांक 04 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

पोषण संबंधी स्थिति

5685. **श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेड्डापल्ली जिले में मार्च 2022 के जिला पोषण प्रोफाइल के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण के महत्वपूर्ण संकेतक पाए गए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही उक्त जिले में कुपोषण और बौनेपन को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय कार्यान्वित किए गए हैं; और
(ग) इन उपायों के परिणामों का विगत दो वर्षों के दौरान ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): 15वें वित्त आयोग की अवधि के तहत, कुपोषण की चुनौती से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवाएं, पोषण अभियान और किशोरियों (आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में 14-18 वर्ष की) के लिए योजना जैसे विभिन्न घटकों को व्यापक मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित मिशन है जिसकी विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की है। यह मिशन एक सार्वभौमिक स्वयं-चयन की सुविधा वाली व्यापक योजना है

जिसमें किसी लाभार्थी के लिए पंजीकरण कराने और सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रवेश संबंधी कोई बाधा नहीं है। यह मिशन तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले सहित पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस मिशन के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश में मानव पूंजी के विकास में योगदान देना;
- कुपोषण की चुनौती का समाधान करना;
- स्थायी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए पोषण जागरूकता तथा भोजन की अच्छी आदतों को बढ़ावा देना

मिशन पोषण 2.0 के तहत सामुदायिक सहभागिता, आउटरीच, व्यवहार परिवर्तन और प्रचार-प्रसार जैसे कार्यकलापों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा बेहतर स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती एवं प्रतिरक्षा के लिए एक नई कार्यनीति बनाई गई है। इसमें मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के आहार मानदंडों, आयुष पद्धतियों के माध्यम से गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम)/मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) के इलाज और तंदुरुस्ती पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि कुपोषण, ठिगनेपन, एनीमिया और अल्प वजन के प्रसार को कम किया जा सके।

इस मिशन के तहत बच्चों (6 महीने से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पूरक पोषण दिया जाता है ताकि जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर पीढ़ियों से चले आ रहे कुपोषण के चक्र को समाप्त किया जा सके। पूरक पोषण राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार प्रदान किया जाता है। इन मानदंडों को जनवरी, 2023 में संशोधित और उन्नयित किया गया है। पुराने मानदंड काफी हद तक कैलोरी-विशिष्ट थे, तथापि, संशोधित मानदंड आहार विविधता के सिद्धांतों पर आधारित पूरक पोषण की मात्रा और गुणवत्ता दोनों मामलों में अधिक व्यापक और संतुलित हैं। इस मानदंड में गुणवत्तापूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यकर वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के अनुसार गंभीर कुपोषण से पीड़ित (एसएएम) बच्चों को अतिरिक्त पूरक पोषण प्रदान किया जाता है।

महिलाओं और बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की जरूरत की पूर्ति करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार पका हुआ गर्म भोजन तैयार करने और

घर ले जाए जाने वाले राशन (टीएचआर) के लिए मिलेट (श्री अन्न) के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बच्चों में गंभीर तीव्र कुपोषण को रोकने और उसका उपचार करने तथा इससे जुड़ी रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए सामुदायिक कुपोषण प्रबंधन (सीएमएएम) के लिए संयुक्त रूप से प्रोटोकॉल जारी किया है।

इस मिशन के तहत लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए सामुदायिक जुटाव और जागरूकता का प्रचार-प्रसार एक प्रमुख कार्यकलाप है क्योंकि पोषण संबंधी अच्छी आदतें अपनाने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सतत प्रयास करने की आवश्यकता होती है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र क्रमशः सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीने में मनाए जाने वाले पोषण माह और पोषण पखवाड़े के दौरान सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के तहत नियमित रूप से जागरूकता कार्यकलापों का आयोजन और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। समुदाय आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) ने पोषण पद्धतियों को बदलने में एक महत्वपूर्ण कार्यनीति का काम किया है और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रत्येक महीने समुदाय आधारित दो कार्यक्रम आयोजित करने होते हैं।

जिला पोषण प्रोफाइल, मार्च 2022 और पोषण ट्रैकर के अनुसार पेद्दापल्ली जिले के कुपोषण संकेतकों का विवरण संलग्न है।

अनुलग्नक

"पोषण की स्थिति" के संबंध में श्री वामसि कृष्णा गद्दाम द्वारा दिनांक 04.04.2025 को पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5685 के भाग (क, ख और ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

जिला पोषण प्रोफाइल, मार्च 2022 और पोषण ट्रैकर के अनुसार पेद्दापल्ली जिले के बच्चों (0-5 वर्ष) के कुपोषण संकेतकों का विवरण इस प्रकार है:

स्रोत	ठिगनापन%	दुबलापन%	कम वजन%
जिला पोषण रिपोर्ट, मार्च 2022	27	29	33
पोषण ट्रैकर फरवरी 2023	24.44	6.14	13.25
पोषण ट्रैकर फरवरी 2024	25.7	5.52	10.87

*****